# फर्द अहकाम

## कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री हुकमीदास पिता श्री मांगीदास वेरागी नि. (रठुंजणा) ग्राम पंचायत नेगड़िया, पंचायत समिति देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज0) 313202 — **अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा — **प्रत्यर्थी**

**किस्म मुकदमा** — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 10/2024**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 20.03.2024**<br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा से जरिये क्रमांक :— सू0अ0/24/200 दिनांक 20.03.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री हुकमीदास पिता मांगीदास वैरागी निवासी रठुंजणा ग्राम पंचायत नेगड़िया तहसील देलवाड़ा द्वारा कार्यालय में दिनांक 16.01.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या ए से चाही गयी सूचना के संबंध में प्रार्थी द्वारा बताए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2023 को कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.10.2023 का प्रार्थना पत्र श्रीमान को प्रस्तुत किया गया, जो श्रीमान के पत्रांक प0 41 मूल(डी)/सतर्कता/ 2023/2034 दिनांक 10.10.2023 से जांच एवं कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय देलवाड़ा को भिजवाया गया। जिसमें अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पटवारी हल्का से जांच करवायी गयी, जिसकी रिपोर्ट तहसील कार्यालय देलवाड़ा के पत्रांक राजस्व/2023/546—48 दिनांक 18.12.23 से श्रीमान को एवं प्रार्थी को भिजवायी गयी। तथा बिन्दु संख्या बी के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रस्तुत RTI प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक RTI/2023/452 दिनांक 17.08.2023 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है तथा श्रीमान के यहा दर्ज अपील संख्या 52/23 में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक राजस्व/ 2023/486 दिनांक 08.09.2023 से रिपोर्ट श्रीमान को प्रस्तुत की गयी एवं प्रार्थी को सूचित किया गया था। | |

न्यायालय जिला कलक्टर

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा को भिजवायी जावे।

**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**

bullo

**लोक सूचना अपीलीय अधिकारी**
**(जिला कलक्टर) राजसमंद**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)